


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (1) श्री रोहित कुमार साव पिता- श्री मोहन साव (2) श्री कृष्ण कुमार पिता- श्री गुलाब साव, (3) श्री मिथिलेश कुमार पिता- श्री जगदीश साव (4) श्री उमेश कुमार पिता- श्री झुमन साव ग्राम- चमातू, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं० 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 50, 52, 58 & 129; , प्लॉट सं० 1139, 1610, 1892, 2377, 2387, 2388, 2392, 1329/2567, 1262/2565, 1262/2566, 2400, 2401, 2498, 870, 2172, 841, 2154, 2056, 744 & 1019; कुल रकबा - 08.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: चमातू, थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू, थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) थाना सं: 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 50, 52, 58 & 129; , प्लॉट सं० 1139, 1610, 1892, 2377, 2387, 2388, 2392, 1329/2567, 1262/2565, 1262/2566, 2400, 2401, 2498, 870, 2172, 841, 2154, 2056, 744 & 1019; कुल रकबा - 08.00 एकड़ भूमि के तहत (1) श्री रोहित कुमार साव पिता- श्री मोहन साव (2) श्री कृष्ण कुमार पिता- श्री गुलाब साव, (3) श्री मिथिलेश कुमार पिता- श्री जगदीश साव (4) श्री उमेश कुमार पिता- श्री झुमन साव, ग्राम- चमातू, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू, थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


3.9.22